

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक / / 2018

संख्या-2/एल०-51/2017- /स्वा०, डा० किरण भारती, सीनियर रेजिडेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, प० चम्पारण, बेतिया को दिनांक-20.12.2018 से 18.06.2019 तक शिशु देखभाल अवकाश को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 के आलोक में 181 (एक सौ एकासी) दिनों के अवकाश को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-888(5) दिनांक-11.7.2018 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-2/एल०-51/2017- 1429 (2)

पटना, दिनांक 17 / 12 / 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटनार/वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/
प्रचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, प० चम्पारण, बेतिया/जिलाकोषागार पदाधिकारी,
बेतिया/डा० किरण भारती, सीनियर रेजिडेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने
हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी ।